

पुस्तक 366.5

Ums - 2025/66

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
07.04.2025	<p>पत्रावली अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2024 प्रस्तुत किये जाने के कारण पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 21.11.2024 को निरस्त कर प्रकरण पुनः नम्बर पर लेने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली तनकीयात कायम किये जाने हेतु नियत थी। प्रतिवादी के विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। दिनांक 21.11.2024 को पत्रावली अधिवक्ता वादी/प्रार्थी की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में जाकर खारिज की गयी। वादी द्वारा अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा शपथ पत्र साक्ष्य हेतु पेश भी किया जा चुका था। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया है कि प्रकरण में शपथ पत्र वादी पेश हो चुका है, पत्रावली तनकीयात हेतु नियत थी। वादीगण प्रकरण चलाना चाहते हैं तथा प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार वादीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायसंगत है। अतः 200/- रुपये की कोस्ट पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 21.11.2024 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण के पुनः उसी नम्बर पर पुनर्स्थापना के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात दिनांक 01.05.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">शकुन्तला R.A.S. उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर</p>	

